[illegible]

[illegible]

क्रमांक प० [illegible] जयपुर, [illegible]

परिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22-12-1999 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समस्त जिला कलेक्टर इस विभाग के उपरोक्त आदेशों की पालना में प्रत्येक नगर के लिए जोन वाईज, कालोनीवाईज अलग अलग से स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित करेंगे।

इस [illegible] के आधार पर यदि कोई भूखण्डधारी [illegible] का निर्धारण के आधार पर नियमन राशि [illegible] जमा करवाना चाहे [illegible] नियमन राशि पर [illegible] की छूट दिनांक 15 मार्च 2000 तक इस प्रकार जमा करवायी गई राशि पर [illegible] दी जावे।

इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक प्रयास किये जावें कि अधिक से अधिक भूखण्डधारी स्व निर्धारण के आधार पर निर्धारित अवधि तक राशि जमा करवायें। ऐसे भूखण्डधारियों को पहले नियमन शिविरों के माध्यम से निस्तारित किये जावें तथा इन शिविरों में स्वनिर्धारण के आधार पर जमा करवायी गयी राशि का भी समायोजन किया जावे।

(जी०एस० संधु)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1-- समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
2-- समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान
3-- आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4- निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश की प्रति समस्त नगर निगमों / पालिकाओं / परिषदों को भिजवायें।
5 मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6-- समस्त सचिव, नगर विकास न्यास, राजस्थान

उप शासन सचिव